न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 58/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पारस कंवर पुत्री बागसिंह बेवा पदमसिंह जाति राजपूत निवासी तवाव तहसील भीनमाल हाल निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर		1. भंवर कंवर बेवा मदनसिंह जाति राजपूत निवासी भीनमाल 2. पवन कंवर पुत्री बागसिंह पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी तवाव हाल निवासी झालामण्ड चौराहा तिलक द्वारा के पास, जोधपुर 3. सरणसिंह पुत्र जगसिंह जाति राजपूत निवासी तवाव तहसील भीनमाल 4. स्टेट जरिये तहसीलदार भीनमाल 5. सब रजिस्ट्रार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री रिज़वान अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री शंकरलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 14/8/2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2004 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2004 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 द्वारा अपीलाण्ट से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को डिक्री हीं किया जाकर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधि विरूद्ध है। जब प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका था, तो न्यायालय को माफिक राजीनामा वाद का निस्तारण किया जाना था, जो नहीं किया जाकर प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है, जो प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। जैर अपील निर्णय 20.07.2004 को पारित किया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा यह अपील निर्णय पारित होने के 13 वर्ष के लम्बे अन्तराल से प्रस्तुत की है तथा उक्त अवधि को कण्डोन करने हेतु कोई न्यायोचित कारण दर्शित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया है तथा उक्त आदेश अपीलेबल नहीं है। उक्त आदेश को अपास्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना ही उचित उपचार है। अतः जिस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, उसके तहत यह अपील पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 787, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 918, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1328 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2004 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद अदम पैरवी में खारिज़ किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 27.12.2017 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जो निर्णय पारित होने के 13 वर्ष पश्चात की है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 19.12.2017 को होना जाहिर किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार 2012(12) Weekly Law Notes 16 page 194 में प्रतिपादित किया कि (A) Civil Procedure Code, 1908 –Order 5 Rule 15- Service of Summons-Adult member of the family-Defendant absent when summons sought to be served- Service can be effected on the father of the defendant. (B) Civil Procedure Code, 1908- Order 9 Rule 13-Summons not duly served-Defendant absent when service of summons was sought to be effected- Father of defendant refused to accept the summon the same was affixed on the premises-Appellant not examining his father to prove that summon had not been refused by him-Application to set aside ex-parte decree rightly rejected by trial Court. इसी प्रकार 2016(3)CJ(Civ.)(Raj.) page 1406 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec. 14-Earlier suit was related in regard to properties of firm which was claimed on the ground of award passed by arbitrators-Subsequent suit has been filed for partition of properties of firm-Both the proceedings are same and one.

Limitation Act, 1963-Sec. 14-Scope-Party who invokes the Section, should not be guilty of negligence, lapse or inaction-Further, there should be no pretended mistake intentionally made with a view to delaying the proceedings or harassing the opposite party. इसी प्रकार RRT 2017(1) Jitendra singh (Dr.) vs. Nirvan Charitable Trust page 711 में प्रतिपादित किया कि Litigant should be vigilant enough & should keep himself informed about the pending proceedings. इसी प्रकार RRD 1994 Page 697 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5-Appellant's plea of lack of knowledge of impugned order, not substantiated by record-Condonation of delay refused and appeal dismised as time bared. (Paras 3-4) (B) Affidavit-Appellant found to have filed false affidavit for obtaining stay order-Board directed prosecution of appellant for submiting false affidavit deliberately knowing full well that it was false. (Para 5) . इसी प्रकार RRD 1994 page 25 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5 – Application for condonation of delay did not contain any material explaining delay-Collector also not considering whether there ws satisfactory explanation-Condonation of delay was not proper Mere fact of submission of application did not justify condonation. (B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Receptacles) Rules, Rule 4-Land recorded as Banjar-Mention of word "talai" in column not explained allotment of talai is not prohibited by the rules. इसी प्रकार 2013(3) Weekly Law Notes 68 6(SC) में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, 1963-Sec. 5-Sufficient Cause-Construction-term should be considered with pragmatism in Justice oriented approach rather than technically insisting to explain

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

delay of every day-Delay in Official Business requires its pedantic approach from Public Justice perspective.

(B) Limitation Act, 163, -Dec, 5- Sufficient Cause-Appellant obtaining decree for permanent injunction against Respondent State in 1969 Execution applied in 2009-Objection of the Respondent under Sec. 47 CPC rejected-on 17-08-2010-Respondent filed another objection on 15-09-2011 for recall of attachment-Objection dismissed on 15-09-2011-Revision filed before District Judge against order dated 17-08-2010-District Judge condoned the Delay and High Court agreed with the same-Held, No sufficient cause made out merely becaude respondent is the State the delay cannot be condoned- Delay in filing execution case cannot be a Ground to condone the delay in filing Revision. इसी प्रकार 2014(4) RLW Page 3173 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963, Sec. 5_ Condonation of delay- Appeal against rejection of suit for specific performance filed after delay of 1916 days i.e. about 5-1/4 Years- the ground is lack of communication with the lawyer- Held- The assertions appear to be incorrect_ they do not evoke confidence- it clearly reflects negligence lack of action deligently and inactivity on the part of appellants in not contaction their lawyer for such a long period – No case of condontion of delay is made out in absence of affidavit of lawyer in their support. इसी प्रकार RRD 1988 page 695 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5 Mere assertion of remissness on part of Advocate, without support of affidavit form Advocate cannot be relied upon for extending limitation. इसी प्रकार RRD 14.03.09 page 150 में प्रतिपादित किया कि Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 89- Limitation Act, Section 5 Appeal against order of R.A.A.- Held, appeal filed on behalf of Govt. beyond the period of limitation of 90 days- Tehsildar in his affidavit has attested serial No. 1 and 2 only and has said nothing about the reasons mentioned in serial Nos. 3 & 4 in the application –No reasons have been given about the delay of three years under the circumstances appeal is hopelessly time barred and delay of three years cannot be condoned and considered on merits-Order of R.A.A. confirmed. इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-Delay in filing second appeal-Judgment passed by first appellate court on 16.08.2003-Appeal filed by appellant on 19.12.2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2033 No explanation given for not filing appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. DNJ (Raj.) 1999 page 134 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec-5 Condonation of delay-Delay of 83 days in filing appeal- Objection that appellant was not duly represented in trial Court in unfounded- Sufficient cause for condonation of delay not shown- File requires to be routed from so many channels is no sufficient cause-Held Appeal is time barred & dismissed. DNJ(Raj.) 1999 page 319 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act 1963 Sec. 5- Motor Vehicle Act, 1988-Sec. 173- Delay of 47 Days in filing appeal-Delay not properly explained- officer of Regional Office did not care to take prompt action in the matter of filling appeal-Complex procedure for routing of the file through many officers is not a sufficient cause to defeat the purpose-Held, Delay is fatal & alppeal dismissed as time barred. इसी प्रकार RLW-pf56 21.12.2013 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act,1963, Sec. 5- Application for condonation of delay in filing intra court appeal- Appeal filed after 9 years, 11 months

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

and 14 days of the expiry of period of limitation- Alleged mistake of the Advocate Held- Delay has not been properly explained- No sufficient cause for condonation of delay- Application dismisses. इसी प्रकार RRT 127 page 117 में प्रतिपादित किया कि

Limitation Act, 1963 Sec. 5 Code of civil Procedure, 1908-Sec.100-Condonation of delay-Delay of 2344 days in filing appeal-In action or indolence on the part of the litigant- Liberal approach cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay-Held, Application &appeal are liable to be dismissed. इसी प्रकार RJt 2015(2) page 1273 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-sec. 5-Code of Civil Procedure, 1908- Order 47, Rule 1- Condonation of delay-Delay of 2327 days in filing review petition-Writ petiton decided on 24.04.2007 in presence of the counsel-When the petitioner enquired about the status of the writ non explained condonation of delay is not entertainble&dismissed. इसी प्रकार RJT 2015(1) page 342 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec. 5-0 code of Civil Procedure, 1908-Sec. 96- Delay of more than three years in filing appeal-Notice of execution of decree served upon the petitioner on 06.01.2012& submitted the reply on 17.04.2012 False averment made in the application that the fact of passing of decree come into knowledge on 17.09.2013-Held, Court below has not committed any illegality or material irregularity in rejection the application.

आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 814 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " When a person signs a document, there is a presumption, unless there is proof of force or fraud, that he has read the document properly and understood it and only then he has affixed his signatures thereon, otherwise no signature on a document can ever be accepted " इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील प्रकरण एवं निर्णय की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2004 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2004 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर